

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/आर-105/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० प्रमोद कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोना, विक्रम, पटना के दिनांक 17.09.2020 से 30.06.2022 तक की अवधि को निम्नरूप में विनियमित किया जाता है:-

i	दिनांक 17.09.2020 से 13.03.2022 तक (कुल-543 दिन)	- असाधारण अवकाश के रूप में।
ii	दिनांक 14.03.2022 से 30.06.2022 तक (कुल-109 दिन)	- पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)

2. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर-105/2025- 1657(2) पटना, दिनांक 20/7/2026

विलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विक्रम, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० प्रमोद कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोना, विक्रम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

WkmanX 15/7/26
सरकार के उप सचिव